दक्ष®

Study with MK

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित

Complete Notes for

राजस्व अधिकारी ग्रेड-II
एवं
अधिशाषी अधिकारी वर्ग-IV

No.1

भाग ब के लिए रामबाण बुक
राजस्थान नगरपालिका
अधिनियम एवं नियम 2009

Target 40 अंक

(Previous Year Questions + Complete Theory)

- सरल और आसान भाषा में सम्पूर्ण अध्याय एवं योजनाएँ
- 2008 व 2016 में आयोजित पिछली भर्तियों में पूछे गए प्रश्नों का समावेश
- नवीनतम नगरीय निकाय संशोधन तथ्यों का समावेश
- राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में संचालित विभिन्न महत्त्वपूर्ण योजनाएँ

लेखक :
मुकेश चौधरी
(M.A. B.Ed. SI, VDO, RAS Exam clear)

लेखिका :
माया चौधरी
(M.A. B.Ed.)

Buy Online at : WWW.DAKSHBOOKS.COM

प्रकाशक :

परितोष वर्धन जैन

कॉलेज बुक सेन्टर

- A-19, सेठी कॉलोनी, जयपुर-302 004

© सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन

लेजर टाईपसैटिंग :

पूजा एण्टरप्राईजेज़

जयपुर

मुद्रक :

के.डी. प्रिन्टर्स

जयपुर।

अनुक्रमणिका

अध्याय नं. अध्याय का नाम ..... पृष्ठ नम्बर

1 परिभाषा एवं नगरीय निकाय से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण तथ्य [Important Facts Related to Definition and Urban Body] 3

[अध्याय-1 (धारा 01-02)]

2 नगर पालिका का गठन एवं शासन [Formation and Governanace of Municipality] 9

[अध्याय-2 (धारा 03-50)]

❖ बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 22

3 कार्य संचालन और वार्ड समितियाँ [Work Steering and Ward Committees] . 23

[अध्याय-3 (धारा 51-66)]

❖ बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 27

4 नगर पालिका सम्पत्ति [Municipal Revenue] 28

[अध्याय-4 (धारा 67-75)]

❖ बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 30

5 नगर पालिका वित्त और नगर पालिका निधि [Municipal Finance and Municipal Fund] 31

[अध्याय-5 (धारा 76-89)]

❖ बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 34

6 नगर पालिका राजस्व [Municipal Revenue] 35

[अध्याय-7 (धारा 101-140)]

❖ बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 42

7 नगरीय विकास और नगर योजना [Urban Development & Town Planning] . 43

[अध्याय-11 (धारा 159-199)]

❖ बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 52

8 नगरीय पालिका शक्तियाँ और अपराध [Municipal Powers and Offenses] 53

[अध्याय-12 (धारा 200-297)]

❖ बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 62

9 अभियोजन, वाद आदि [Prosecution, Suit etc.] 63

[अध्याय-13 (धारा 298-308)]

❖ बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 64

10 नियंत्रण [Control] 65

[अध्याय-14 (धारा 309-327)]

❖ बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 68

11 राजस्थान नगरपालिका समान क्रय और अनुबंध नियम 1974 [Rajasthan Municipal Respect Purchase and Contract Rules 1974] 69

12 नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 [Rajasthan Municipal Conduct of Work Rules 2009] 72

❖ बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 74

13 राजस्थान नगरपालिका (समितियों की शक्तियाँ कर्त्तव्य और कृत्य) नियम 2009 [Rajasthan Municipal (Powers, Duties and Functions of Committees) Rules 2009] 74

14 शहरी क्षेत्र में संचालित योजनाएँ [Schemes Operated in Urban Area] 76

❖ पिछली नगर पालिका परिक्षा 2008 एवं 2016 में पूछे गये महत्त्वपूर्ण प्रश्न 80

- प्रकाशक की अनुमति के बिना इस पुस्तक के किसी भी अंश का किसी भी प्रणाली के सहारे पुन:उत्पत्ति का प्रयास अथवा किसी भी तकनीकी तरीके (इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फॉटोकॉपी, रिकॉर्डिंग, डिजिटल, वेब) के माध्यम से अथवा इस पुस्तक का नाम, टाईटल, चित्र, रेखाचित्र, नक्शे, डिजाईन, कवर डिजाईन, सैटिंग, शिक्षण-सामग्री, विषय-वस्तु, पूर्ण या आंशिक रूप से किसी भी भाषा में हूबहू या तोड़-मरोड़ कर या अदल-बदल कर प्रकाशन या वितरण नहीं किया जा सकता है। इस पुस्तक के प्रतिलिप्याधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित हैं।
- पुस्तक का कम्पोजिंग कार्य कम्प्यूटर द्वारा कराया गया है। पुस्तक के लेखन व प्रकाशन कार्य में लेखक, प्रूफ रीडर, कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रकाशक द्वारा पूर्ण सावधानी बरतने के बावजूद भी अधूरी या पुरानी जानकारी का होना/कुछ ग़लतियों/कमियों का रह जाना मानवीय भूलवंश सम्भव है, जिसके लिए पुस्तक प्रकाशन से जुड़े मुद्रक, लेखक एवं प्रकाशक उत्तरदायी नहीं होंगे। पाठकों के सुझाव सादर आमंत्रित हैं।
- सभी विवादों का न्यायक्षेत्र जयपुर (राज.) होगा।

1 परिभाषा एवं नगरीय निकाय से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण तथ्य
[Important Facts Related to Definition and Urban Body]
[अध्याय–1 (धारा 01-02)]

राजस्थान के शहरी क्षेत्र एक नजर में

- राज्य का कुल क्षेत्रफल (लाख वर्ग कि.मी. में) – 3.42
- राज्य की कुल आबादी (2011) – 6,85,48,437
- राज्य में नगरीय जनसंख्या (2011) – 1,70,48 ,085
- राज्य के 213 नगर निकायों की जनसंख्या (2011) – 1,60,21,324
- राज्य की कुल आबादी से नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत (2011) – 24.87
- स्त्री/पुरुष अनुपात (नगरीय) (प्रतिहजार) (2011) – 914
- दशकीय वृद्धि दर (नगरीय) (2011) – 29.00
- साक्षरता कुल व्यक्ति (नगरीय) (2011) – 1,18,03,496
- साक्षरता दर (नगरीय) पुरुष (2011) – 87.9
- साक्षरता दर (नगरीय) महिलाएं (2011) – 70.7
- 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या (2011) – 30
- नगरीय निकायों की संख्या – 213
- नगरनिगम – 10
- नगर परिषद – 34
- द्वितीय श्रेणी की नगर पालिका – 13
- तृतीय श्रेणी की नगर पालिका – 58
- चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका – 98

राजस्थान की नगरीय निकायों का विवरण

- वर्तमान में प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में कुल 213 नगरीय निकाय है, जिनका श्रेणीवार विभाजन निम्न प्रकार है–

नगरनिगम	10
नगर परिषद	34
नगर पालिका द्वितीय श्रेणी	13
नगर पालिका तृतीय श्रेणी	58
नगर पालिका चतुर्थ श्रेणी	98
कुल नगरीय निकाय योग	213

- विभागीय अधिसूचना मार्च, 2021 के द्वारा 17 चतुर्थ श्रेणी नगर पालिकाएँ गठित की गई , जो निम्नानुसार हैं—
  श्रीगंगानगर में लालगढ़–जाटान, जयपुर में बस्सी एवं पावटा–प्रागपुरा, अलवर में लक्ष्मणगढ़, रामगढ़ बानसूर, दौसा में मण्डावरी, भरतपुर में उच्चैन एवं सीकरी, धौलपुर में सरमथुरा एवं बसेड़ी, करौली में सपोटरा, सवाईमाधोपुर में बामणवास, जोधपुर में भोपालगढ़, सिरोही में जावाल, कोटा में सल्तानपुर, बारां में अटरू।
- 19 मार्च 2021 को विधानसभा (Rajasthan Assembly) में राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2021 (Rajasthan Municipal Amendment Bill 2021) पारित कर नगरीय निकायों में मनोनीत पार्षदों (Nominated Councilors) की संख्या बढ़ा दी है।
- नगर निगम में 6 की जगह अब 12 मनोनीत पार्षद हो सकेंगे, वहीं नगर परिषद में 5 की जगह 8 और नगर पालिका में 4 की जगह अब 6 मनोनीत पार्षद हो सकेंगे।
- साथ ही मनोनीत किए जाने वाले पार्षदों में एक पार्षद विशेष योग्यजन होगा।
- इसके अलावा विशेष योग्यजन संतान को 2 संतानों के राइडर में शामिल नहीं करने के लिए भी प्रावधान किए गए है।

कर सकेंगे पट्टा निरस्त

- फर्जी दस्तावेज और गलत तथ्यों के जरिए अवैध तरीके से जमीन आवंटन करने वालों का रजिस्टर्ड पट्टा निरस्त करने का अधिकार अब जेडीए आदि सभी निकायों को दे दिया है। अब तब इसके लिए सिविल कोर्ट में जाना पड़ता था। अब यह पावर निकाय या ट्रिब्यूनल के पास रहेगा। राजस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक–2021 में ये प्रावधान जोड़ा है।
- नगर की जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा अपने क्षेत्र का शासन–प्रशासन संचालित करना नगरीय स्वशासन कहलाता है।
- नगरीय प्रशासन उल्लेख मगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में मिलता है।
- ब्रिटिश काल में भारत में नगरीय प्रशासन अस्तित्व में आया था।
- भारत का पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित हुआ (1687-1688)।
- राजस्थान में सबसे पहले माउंट आबू (वर्तमान सिरोही) नगर पालिका की स्थापना हुई ।
- लॉर्ड मेयो द्वारा विकेन्द्रीकरण पर 1870 में बल दिया गया।
- भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा नगरीय स्थानीय प्रशासन को प्रांतीय सूची में जोड़ा गया।
- वर्तमान में नगरीय स्वशासन राज्य सूची के अन्तर्गत आता है।
- भारत में विभिन्न प्रकार के शहरी स्थानीय शासन संचालित है— नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, छावनी बोर्ड, नगर सुधार न्यास, अधिसूचित क्षेत्र, अधिसूचित समिति क्षेत्र, कस्बा क्षेत्र, महानगर योजना समिति।

2 नगर पालिका का गठन एवं शासन [Formation and Governanace of Municipality] [अध्याय–2 (धारा 03-50)]

धारा-3
नगरपालिकाओं का परिसीमन

❖ राजस्थान सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी कर निम्न परिस्थितियों में परिसीमन कर सकती है –

कोई भी स्थानीय क्षेत्र जो किसी भी नगर पालिकाओं की सीमा में शामिल नहीं है, उसको नगर पालिका घोषित कर सकती है या किसी भी स्थानीय क्षेत्र को किसी नगर पालिका से हटा सकती है और नगर पालिकाओं की सीमाओं में कोई भी परिवर्तन कर सकती है।

1. कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगरपालिका घोषित किया जाए या उसमें शामिल किया जाए—तब उसके अंतर्गत आने वाले मामले में उस क्षेत्र या उसके अतिरिक्त क्षेत्र के लिए सदस्यों का निर्वाचन 6 महीने के भीतर कराया जाना अनिवार्य है।
2. किसी भी स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका से हटाया जाए—तब उसके अंतर्गत आने वाले किसी मामले में उन सदस्यों को राज्य सरकार की राय में नगर पालिका के हटाए गए क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते है तो उनको हटाया जाएगा।
3. किसी भी नगरपालिका की सीमाओं को एक नगर पालिका या अन्य नगर पालिका में शामिल करने या एक नगर पालिका को दो से अधिक नगरपालिका में विभाजित बदलाव किया जाए—तब उसके अधीन आने वाले किसी भी मामले में ऐसी नगर पालिका की जिसमें कोई अन्य नगरपालिका सम्मिलित की गई है, इस अधिनियम के द्वारा उसकी अवधि समाप्त होने तक ऐसी नगर पालिका का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य उस नगरपालिका के जिसमें ऐसी नगर पालिका सम्मिलित की गई है, उसके सदस्य समझे जाएंगे।
4. कोई भी स्थानीय क्षेत्र कोई नगरपालिका नहीं रहे तब राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम या अन्य विधि द्वारा उपयुक्त सभी मामले में नगर पालिका को विघटित कर दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण—उपर्युक्त सभी परिस्थितियों में सीमा ज्ञान कलेक्टर या उसके द्वारा नियत अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

❖ कोई स्थानीय क्षेत्र नगरपालिका ना रहे तब उसमें स्थापित नगरपालिकाओं का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और नगरपालिका निधि की अतिशेष संपत्ति राज्य सरकार में सम्मिलित हो जाएगी।

❖ जब किसी स्थानीय क्षेत्र को किसी नगर पालिका क्षेत्र से हटा दिया जाए और दूसरी नगर पालिका शामिल कर लिया जाए तब पहले नगर पालिका में निहित नगरपालिका निधि और उसकी संपत्ति का भाग राज्य सरकार दोनों नगरपालिका से विचार-विमर्श के बाद राजपत्र में अधिसूचना जारी करेगी, जिसके बाद किसी एक नगरपालिका में शामिल हो जाएगा और उसका दायित्व हो जाएगा।

❖ कोई भी आवास गृह निमार्ण, भंडार गृह, उद्योग या कारोबार का स्थान दो या दो से अधिक नजदीकी नगर पालिका क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित हो उस स्थिति में राज्य सरकार इस अधिनियम में कहीं भी आंतरिक किसी बात के होते हुए भी राजपत्र में अधिसूचना जारी कर ऐसा नगर पालिका क्षेत्र घोषित करेगी, जिसके अन्तर्गत यह भी शामिल किए हुए समझे जाएंगे।

❖ जब किसी भी स्थानीय क्षेत्र को किसी नगरपालिका में शामिल कर लिया जाए जब उसमें बनाए गए समस्त नियम और विधियां जारी किए गए जो भी आदेश और अधिसूचना एवं नोटिस उसकी शक्तियां उस क्षेत्र को इसी प्रकार सम्मिलित किए जाने के समय यदि संपूर्ण नगर पालिका में परिवर्तित क्षेत्र पर इस प्रकार सम्मिलित किए जाने की तारीख से जब तक किसी राज्य सरकार अन्य निर्देश ना दे, लागू हो जाएंगे।

❖ जब किसी एक गांव में शामिल कोई क्षेत्र किसी नगर पालिका क्षेत्र के रूप में बनाया जाए या जब कोई क्षेत्र किसी गांव से हटाया जाए और किसी नगरपालिका में शामिल किया जाए, उसी तारीख से निम्न संपूर्ण नियम लागू हो जाएंगे।

❖ वह क्षेत्र गांव नहीं रहेगा।

❖ क्षेत्र की पंचायत कार्य करना बंद कर देगी और उसमें नगर पालिका अपने अधिकारों का प्रयोग करेगी।

❖ जब तक चुनाव ना हो तब तक गांव के ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सरपंच, उपसरपंच, वार्ड पंच उस नगर पालिका का जिसमें गांव का ऐसा क्षेत्र शामिल किया गया है, उस नगरपालिका के अतिरिक्त सदस्य समझे जाएंगे।

3 कार्य संचालन और वार्ड समितियाँ [Work Steering and Ward Committees]

[अध्याय–3 (धारा 51-66)]

धारा 51
नगर पालिका की बैठक के बारे में उपबंध

1. नगर पालिका की सामान्य एवं साधारण बैठक 2 महीने यानी 60 दिन के अंदर एक बार होगी और 1 वर्ष में कम से कम 6 बैठक होगी और बैठक का कार्य संचालन संपूर्ण नियम कानून से होगा।
2. अध्यक्ष उसी तारीख को बैठक बुला सकता है जिसमें नगर पालिका के एक तिहाई सदस्य अपने हस्ताक्षर के साथ प्रस्ताव जारी करें और अधिकतम 7 दिनों में किसी भी दिन बैठक बुलाएगा।
3. यदि अध्यक्ष इस प्रक्रिया से इस समय में बैठक बुलाने में असफल रहता है तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी समय समाप्त होने के बाद अगले 10 दिनों के अंदर अंदर बैठक बुलाएगा।

धारा 52
व्यक्ति सदस्यों के अधिकार और विशेष अधिकार

1. कोई भी सदस्य किसी नगर पालिका के कार्य संपन्न में की गई किसी नगर पालिका संपत्ति या उसके नुकसान, उस क्षेत्र के नागरिक की समस्याओं आदि से संबंधित अधिकारी को सूचित कर सकते है और सुधार के लिए कोई भी सुझाव दे सकते है।
2. प्रत्येक सदस्य को नियमों के अनुसार अध्यक्ष से प्रश्न पूछने और कोई प्रस्ताव देने का अधिकार है।
3. प्रत्येक सदस्य को बिना किसी देश या शुल्क के नगर पालिका में अभिलेखों का निरीक्षण करने का अधिकार है।

धारा 53
अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

- अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा और उस पर संबंधित विचार किया जाएगा।
- अध्यक्ष या उपाध्याक्ष को पद ग्रहण के 1 वर्ष के अंदर अंदर अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस नहीं दिया जा सकता।
- अध्यक्ष या उपाध्याक्ष के पद समाप्ति के अंतिम 2 वर्ष के कार्यकाल के भीतर अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस नहीं दिया जा सकता।

धारा–54
वार्ड समिति का गठन

1. 3 लाख या उससे अधिक की जनसंख्या वाली नगर पालिकाओं के क्षेत्रों के लिए वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा, जिसमें 1 से अधिक वार्ड हो सकते है।
2. प्रत्येक वार्ड समिति निम्न प्रकार से होगी—
   - वार्ड समिति के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले नगरपालिका के सदस्य और 5 से अधिक ऐसे सदस्य जो 25 वर्ष की आयु से कम के ना हो और जो नगर पालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान और अनुभव रखते है उनका नाम निर्दिष्ट किया जाएगा।
   - परंतु कोई ऐसा व्यक्ति वार्ड समिति का सदस्य होने के लिए पात्र होगा यदि वह इस अधिनियम या किसी अन्य व्यक्ति के अधीन सदस्य के रूप में निर्वाचन होने की योग्यता रखता है।
3. जहां पर किसी भी वार्ड समिति में एक ही वार्ड है नगरपालिका में उस वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य उस समिति का अध्यक्ष बन सकता है।
4. वार्ड समिति के अधीन उसके गठन के बाद और उसकी प्रथम बैठक और अंतिम वर्ष में उसी महीने में उसकी प्रथम बैठक में जहाँ वार्ड समिति में दो या अधिक वार्ड हो वहां उस समिति के अध्यक्ष के रूप में नगर पालिका में ऐसे वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों में से एक सदस्य का निर्वाचन करेगी।
   - अध्यक्ष जब तक रहेगा जब तक कोई दूसरा अध्यक्ष ना बन जाए और दोबारा निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा।
5. अध्यक्ष जैसे ही सदस्य नहीं रहेगा वह अपना पद रिक्त कर देगा।
6. किसी कारणवश अध्यक्ष का पद उसके समय की समाप्ति के पूर्व खाली हो जाता है तो उस दिशा में वार्ड समिति सुविधा अनुसार यथाशीघ्र नए अध्यक्ष का निर्वाचन करेगी।
   - नए अध्यक्ष पहले वाले अध्यक्ष के बचे हुए समय तक ही उस पद को धारण करेगा।

4 नगर पालिका सम्पत्ति [Municipal Revenue]

[अध्याय–4 (धारा 67-75)]

धारा 67
सम्पत्ति अर्जित और धारण करने की शक्ति

❖ इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, नगर पालिका को, नगर पालिका क्षेत्र की सीमाओं के चाहे भीतर या बाहर, दान द्वारा, क्रय द्वारा या अन्यथा जंगम तथा स्थावन सम्पत्तियां या उनमें कोई हित अर्जित करने और उन्हें धारित करने की शक्ति होगी।

धारा 68
सम्पत्ति का निहित होना

(1) इस धारा में इसमें इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट स्वरूप की सम्पूर्ण सम्पत्ति, जो राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से आरक्षित नहीं की गयी हो, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अध्याधीन रहते हुए, नगर पालिका में निहित होगी और नगरपालिका की होगी तथा ऐसी सम्पूर्ण अन्य सम्पत्ति सहित, चाहे वह किसी भी स्वरूप या प्रकार की हो, जो विशेष रूप से राज्य सरकार द्वारा आरक्षित नहीं की गयी हो, जो नगर पालिका में निहित हो जाये, उसके निर्देश, प्रबन्ध और नियंत्रण के अधीन होगी तथा इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्याधीन और प्रयोजन के लिए उसके द्वारा न्यासी के रूप में धारित और उपयोजित की जायेगी, अर्थात्

(क) समस्त निहित सार्वजनिक भूमि :

(ख) नगर या कस्बे के समस्त सार्वजनिक परकोटे, द्वार, बाजार, वधशालाएं, खाद और विष्ठा के डिपो।

(ग) समस्त सार्वजनिक तालाब, जल–धाराएं, जलाशय, कुण्ड, झरने, जलसेतु, नलिकाएं, सुरंगे पाईप और पम्प तथा समस्त पुल, भवन, इंजन, संकर्म, इनमें संबंधित या उनसे सम्बद्ध सामग्री तथा वस्तुएं तथा किसी सार्वजनिक तालाब या कुएं से अनुलग्न कोई पार्श्वस्थ भूमि भी, जो निजी सम्पत्ति न हो।

(घ) किसी मार्ग में, उसके पार्श्वस्थ या उसके नीचे समस्त सार्वजनिक मलनालियां और नालियां, जलसरणियां, सुरंगे, पुलियाएं और जलमार्ग।

(ङ) समस्त सार्वजनिक मार्ग और पटरियां तथा उन पर के पत्थर और अन्य सामग्री तथा ऐसे मार्गों में उपलब्ध कराये गये समस्त वृक्ष, परिनिर्माण, सामग्री, उपकरण तथा वस्तुएं।

(च) सभी सार्वजनिक उद्यान और बाग, जिसमें चौक और सार्वजनिक खुली जगह सम्मिलित है।

(छ) नदियों या जल–धाराओं या तालाबों पर सभी सार्वजनिक घाट।

(ज) ऐसी सरकारी भूमियां, जो नगर पालिका क्षेत्र के भीतर स्थित हो या बाहर।

(झ) समस्त सार्वजनिक लैंप, लैंपों के खम्भें।

(ज) समस्त सरकारी भवन तथा समस्त निजी भूमियां और भवन जो उसको दान द्वारा या अन्यथा अन्तरित किये गये है।

(ट) मृत शरीरों के निर्वतन के लिए समस्त सार्वजनिक स्थान, उनको छोड़कर जो इस निमित्त किसी विशेष विधि द्वारा शासित है।

(ठ) सार्वजनिक मार्ग या सार्वजनिक स्थान पर संग्रहित सभी ठोस अपशिष्ट, जिसमें मृत पशु और पक्षी सम्मिलित है और

(ड़) सभी भटके हुए जानवर, जो किसी प्राईवेट व्यक्ति के नहीं है।

(2) राज्य सरकार, उप–धारा (1) के खण्ड (ज) के अधीन नगरपालिका में निहित की गयी किसी भी सरकारी भूमि को, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे निबन्धनों पर, जो राज्य सरकार अवधारित करें, समय–समय पर पुनर्गृहीत करने के लिए सक्षम होगी—

(i) यदि जांच करने पर यह पाया जाये कि ऐसी नगर पालिका ने ऐसी भूमि का कुप्रबन्ध किया है, या

(ii) यदि ऐसी भूमि राज्य सरकार द्वारा लोकहित में अन्यथा अपेक्षित हो।

धारा 69
करार, विनिमय, पट्टा, अनुदान आदि द्वारा नगर पालिका द्वारा सम्पत्ति का अर्जन

(1) नगर पालिका ऐसी शर्तों और निबंधनों पर, जो उसके द्वारा अनुमोदित किये जाये और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से—

(i) करार द्वारा—

(क) कोई स्थावर सम्पत्ति और

(ख) स्थावर सम्पत्ति को प्रभावित करने वाला कोई सुखाधिकार—अर्जित कर सकेगी।

(ii) विनिमय द्वारा कोई सम्पत्ति अर्जित कर सकेगी और

(iii) स्थावर सम्पत्ति भाड़े या पट्टे पर ले सकेगी।

5 नगर पालिका वित्त और नगर पालिका निधि [Municipal Finance and Municipal Fund]

[अध्याय–5 (धारा 76-89)]

धारा 76
राज्यवित्त आयोग

(1) राज्य वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा और—

(क) (i) राज्य द्वारा उदग्रहणीय ऐसे करों, शुल्कों, पथकारों और फीसों के ऐसे शुद्ध आगमों के जो राज्य और नगर पालिकाओं के बीच विभाजित किये जायें, उनके भाग के आवंटन को।

(ii) ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के अवधारण को, जो नगरपालिकाओं को समनुदिष्ट की जा सकेगी या उनके द्वारा विनियोजित की जा सकेगी।

(iii) राज्य की संचित निधि में से नगरपालिकाओं के सहायता–अनुदान को अनुशासित करने वाले सिद्धान्तों के बारे में।

(ख) नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक अध्यायों के बारे में और

(ग) नगर पालिका की सुदृढ़ वित्तीय स्थिति के हित में राज्य वित्त आयोग को निर्दिष्ट किये गये किसी भी अन्य विषय के बारे में राज्यपाल को सिफारिश करेगा।

(2) राज्य वित्त आयोग द्वारा की गयी प्रत्येक सिफारिश, उस पर की गयी कार्रवाई के स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित राज्य विधान–मण्डल के समक्ष रखी जायेगी।

धारा 77
राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन

❖ राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार—

(क) करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के शुद्ध आगमों का नगरपालिकाओं को न्यागमन

(ख) करो, शुल्कों, पथकरों और फीसों का नगरपालिकाओं को समनुदेशन,

(ग) राज्य की संचित निधि में से नगरपालिकाओं को सहायता–अनुदान की मंजूरी और

(घ) नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए अपेक्षित अन्य अध्यायों का अवधारण करेगी।

धारा 78
राज्य सरकार से वित्तीय सहायता

(1) राज्य सरकार समय–समय पर नगरपालिका को अनुदान या वित्तीय सहायता, उस रीति, जिसमें ऐसे अनुदान या वित्तीय सहायता का उपयोग किया जायेगा के बारे में निदेश सहित या उसके बिना, प्रदान कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार ऐसे अनुदान या सहायता देने के लिए एक स्कीम अधिकथित कर सकेगी जिसमें ऐसे अनुदान या सहायता जारी किये जाने की शर्तें सम्मिलित हो सकेंगी और इसमें उक्त प्रयोजन के लिए नगरपालिकाओं के विभिन्न वर्गों में विभाजन का उपबंध हो सकेगा।

(3) राज्य सरकार नगरपालिका को नगरपालिका की वार्षिक विकास योजना में सम्मिलित किसी स्कीम के सम्पूर्ण या भागतः क्रियान्वयन के लिए अनुदान दे सकेगी।

धारा 79
नगरपालिक निधि

(1) नगरपालिक निधि के नाम से एक निधि होगी, जिसे नगरपालिका द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए न्यासतः धारित किया जायेगा और इस अधिनियम के अधीन वसूल किया गया या वसूल करने योग्य समस्त धन और नगरपालिका द्वारा अन्यथा प्राप्त समस्त धन उसमें जमा किया जायेगा।

(2) ऐसे निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार इस निमित्त जारी करे, नगरपालिका की प्राप्तियां और व्यय ऐसे लेखा शीर्षों, जिनमें जल–निकास और मल–वहन, ठोस अपशिष्ट प्रबंध, सड़क विकास और रख–रखाव, गन्दी बस्ती सेवाएं, वाणिज्यिक परियोजनाएं सम्मिलित है।

6 नगर पालिका राजस्व [Municipal Revenue]

[अध्याय–7 (धारा 101-140)]

धारा 101
नगरपालिका का आंतरिक राजस्व

❖ नगरपालिका के आंतरिक राजस्व में निम्नलिखित स्रोतों से उसकी प्राप्तियाँ सम्मिलित होंगी, अर्थात्—

(क) नगरपालिका द्वारा उद्गृहीत कर,

(ख) नागरिक सेवाओं की व्यवस्था के लिए नगरपालिका द्वारा उद्ग्रहीत उपयोक्ता प्रभार, और

(ग) विनियामक और अन्य कानूनी कृत्यों के अनुपालन के लिए उद्गृहीत फीसें और जुर्माने।

धारा 102
बाध्यकारी कर

(1) धारा 4 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक नगरपालिका ऐसी दर पर और ऐसी तारीख से, जिसके लिए राज्य सरकार प्रत्येक मामले में राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निदिष्ट करें और ऐसी रीति से, जो इस अधिनियम में अधिकथित की गयी है और जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियमों में उपबन्धित की जाये, निम्नलिखित कर उद्गृहीत कर सकेगी।

(क) इकाई क्षेत्र आधारित प्रणाली द्वारा या किसी अन्य प्रणाली द्वारा, नगरपालिका सीमाओं के भीतर स्थित भूमियों और भवनों पर कर।

(ख) वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर।

(ग) नगरपालिका के स्वामित्व वाली या उसकी निधियों से निर्मित सड़कों, पुलों और घाटों पर पथकर।

(घ) ऐसे व्यवसाय और उद्योग, जो नगरपालिका सीमाओं के भीतर पर्यावरण प्रदूषण के स्रोत हैं, से प्रदूषण नियंत्रण के लिए कर।

(ङ) सार्वजनिक स्थान पर या निजी भूमि या भवन अनुज्ञेय संप्रदर्शन या विज्ञापन पर कर।

परन्तु किसी नगर पालिका द्वारा और उसके अनुरोध पर किये गये किसी अभ्यावेदन पर राज्य सरकार यदि उसका समाधान हो जाये कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है कि किसी नगरपालिका के लिए इस धारा में उललेखित करों में से किसी भी कर का उद्ग्रहण नहीं करने या उसका उद्ग्रहण बन्दर करने या उसकी दर कम करने का पर्याप्त औचित्य है तो ऐसा आदेश करने के कारणों सहित, राजपत्र में प्रकाशित विशेष आदेश द्वारा उस पालिका को ऐसे किसी भी कर का उद्ग्रहण नहीं करने या उसका उद्ग्रहण बन्द करने या उसकी दर कम करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी।

(2) विभिन्न नगरपालिकाओं की परिवर्तनशील स्थानीय दशाओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न दरों पर करों के उद्ग्रहण के लिए उप-धारा (1) के अधीन निर्देश दिये जा सकेंगे और उन्हीं तर्कों तथा वैसे ही निदेश द्वारा, राज्य सरकार उद्गृहीत करों की दरों को विभिन्न नगरपालिकाओं के सम्बन्ध में समय-समय पर एक समान रूप से या भिन्न-भिन्न रूप से परिवर्तित कर सकेगी।

धारा 103
अन्य कर जो अधिरोपित किये जा सकेंगे

(1) राज्य सरकार के इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेशों के अध्यधीन रहते हुए कोई नगरपालिका उसके सम्पूर्ण या किसी भी भाग में, जिसके लिए उसकी स्थापना की गयी है, इनमें से किसी भी कर का अधिरोपण और उद्ग्रहण कर सकेगी अर्थात्—

(i) नगरपालिका के भीतर चलाये जाने वाले यानों पर कर।

(ii) नगरपालिका के भीतर लंगर डालने वाली नौकाओं पर कर।

(iii) रोशनी कर।

(iv) सभाओं पर कर।

(v) तीर्थयात्रियों और पर्यटकों पर कर।

(vi) विज्ञापन के लिए होर्डिंग या कोई अन्य संरचना परिनिर्मित करने के लिए उपयोग में ली गयी भूमि या भवन पर कर।

(vii) अग्नि कर।

(viii) किसी गैर-आवासीय भवन में पार्किंग स्थानों में की न्यूनता पर कर।

7 नगरीय विकास और नगर योजना [Urban Development and Town Planning]

[अध्याय–11 (धारा 159-199)]

धारा 159
नागरिक सर्वेक्षण और मास्टर विकास योजना तथा अन्य योजनाएं तैयार करना

(1) तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, नगरपालिका, नगर के नियोजित और समेकित विकास और भूमि के संतुलित उपयोग को सुनिश्चित करने की दृष्टि से नगर का एक विस्तृत सर्वेक्षण करवायेगी और मास्टर विकास योजना और कानून द्वारा अपेक्षित अन्य योजनाएं तैयार करेगी । नगरपालिका इस प्रयोजन के लिए महानगर योजना समिति या, यथास्थिति, जिला योजना समिति के साथ–साथ राज्य के मुख्य नगर नियोजक से भी समन्वय स्थापित करेगी। इसमें वर्णित योजनाएं निम्नलिखित समय–परिप्रेक्ष्य में तैयार की जायेगी।

(i) मास्टर विकास योजना–बीस वर्ष की कालावधि के लिए।

(ii) निष्पादन योजना–पांच वर्ष की कालावधि के लिए और

(iii) वार्षिक नगरपालिका कार्य योजना–एक वर्ष की कालावधि के लिए।

(2) मास्टर विकास योजना, निष्पादन योजना और वार्षिक नगरपालिका कार्य योजना के अतिरिक्त नगरपालिका प्रत्येक वार्ड के लिए, ऐसी अन्य योजनाएं तैयार कर सकेगी जो वह समुचित समझे या जैसा राज्य सरकार समय–समय पर निर्देश दे।

(3) मास्टर विकास योजना नगर पालिका के विकासशील क्षेत्र की आवश्यकताओं का हितसाधन करने के लिए लोक उपयोगिताओं नागरिक सुविधाओं, सामुदायिक प्रसुविधाओं, आवास, संचार और यातायात के नेटवर्क, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और विकास की परियोजनाओं या स्कीमों के लिए समयबद्ध विकास का संक्षेप में स्पष्ट करेगी और जहां अपेक्षित हो वहां निम्नलिखित मामलों के लिए उपबंध कर सकेगी—

(i) यातायात और संचार, जैसे सड़क, राजमार्ग, रेल, नहरें अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों, एयरकार्गो कॉम्प्लेक्स और बस सेवा, उनके विकास को सम्मिलित करते हुए।

(ii) विद्युत और गैस को सम्मिलित करते हुए, जलप्रदाय, जल–निकास, मल–वहन, मलनिस्तारण और अन्य लोक उपयोगिताएं, सुख–सुविधाएं और सेवाएं।

(iii) प्राकृतिक दृश्यावली, शहरी वन, वन्य जीवन, प्राकृतिक संसाधनों और भू–दृश्य चित्रणों के क्षेत्रों का परिरक्षण, संरक्षण और विकास।

(iv) ऐतिहासिक, प्राकृतिक, स्थापत्य या वैज्ञानिक रूचि और शैक्षिक मूल्य की वस्तुओं,आकृतियों, संरचनाओं और स्थानों का परिरक्षण।

(v) भूक्षरण का निरोध, वनीकरण और पुनः वनीकरण का उपबंध, जलाभिमुख क्षेत्रों, नदियों, नालियों,झीलों और जलाशयों का सुधार।

(vi) सिंचाई, जलप्रदाय और जल–विद्युत संकर्म, बाढ़ नियंत्रण और जल तथा वायु प्रदुषण का निरोध।

(vii) शैक्षिक और चिकित्सीय सुविधाएं।

(viii) जिला व्यापार केन्द्र, अन्य शॉपिंग कॉम्पलेक्स, निर्यातोन्मुखी औद्योगिक क्षेत्र और किलयरिंग हाऊस, स्थायी प्रदर्शनी केन्द्र, पशु मेले और बाजार।

(ix) राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धाएं कराने योग्य खेलकूद और स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स।

(x) मनोरंजन पार्क, जिसमें कृत्रिम झीलें और जलाशय सम्मिलित हैं।

(xi) सांस्कृतिक कॉम्प्लेक्स, जिसमें नाट्यशाला, सिनेमाघर, स्टूडियों, आमोद–प्रमोद के केन्द्र, कांफ्रेस्स हॉल कॉम्प्लेक्स, कन्सर्ट हॉल, टाउन हॉल और ओडिटोरियम, सम्मिलित हैं।

(xii) पर्यटक कॉम्प्लेक्स जिसमें होटल ओर मोटल, कार भाडा सम्बन्धी सेवाएं, संगठित टूर और ट्रेक सम्मिलित है।

(xiii) भिन्न–भिन्न उपयोगों के लिए भूमि का आवंटन भूमि का साधारण वितरण और साधारण वितरण और साधारण अवस्थित और वह सीमा, जिस तक भूमि आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक कृषि या वन के रूप में या खनिज निष्कर्षण के लिए या अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जा सकेगी।

8 नगरीय पालिका शक्तियाँ और अपराध [Municipal Powers and Offenses]

[अध्याय–12 (धारा 200-297)]

धारा 202
भवन से प्रभावी जल–निकास

❖ किसी भवन का निर्माण या किसी भवन का पुनर्निर्माण करना या किसी नवनिर्मित या पुनर्निर्मित किये जाने वाले भवन को अधिभोग में लेना, तब तक विधिपूर्ण नहीं होगा जब तक—

(क) ऐसे आकार, सामग्री और प्रकार की, ऐसी सतह पर और ऐसे ढलान की, जो ऐसे भवन से प्रभावी जल–निकास के लिए नगरपालिका को आवश्यक प्रतीत हो, कोई नाली नहीं बनायी जाये।

धारा 203
भवनों या भूमियों के स्वामियों और अधिभोगियों का नगरपालिका की नालियों में उत्सारण करने को अधिकार

❖ नगरपालिका के भीतर किसी भवन या भूमि का स्वामी या अधिभोगी अपनी नाली नगरपालिका की मल–नालियों में गिराने का हकदार होगा, बशर्ते कि वह पहले नगरपालिका की लिखित अनुज्ञा प्राप्त कर ले।

धारा 204
मल और वर्षा–जल की नालियों का पृथक–पृथक होना

धारा 205
अन्य व्यक्ति की भूमि पर से या उसकी नाली में से नाली ले जाने का अधिकार–नगरपालिका द्वारा कैसे और किन शर्तों पर प्राधिकृत किया जायेगा

❖ यदि किसी भवन या भूमि का स्वामी या अधिभोगी, नगरपालिका के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दे कि वह किसी अन्य व्यक्ति की या उसके अधिभोग में या उपयोग में की किसी भूमि में होकर नाली बनाने से अन्यथा उसे नगरपालिक नाली से संसक्त नहीं कर सकता तो नगरपालिका, ऐसे अन्य व्यक्ति को उस आवेदन के संबंध में कोई आक्षेप करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् और यदि कोई आक्षेप न किया जाये और यदि कोई आक्षेप किया जाये।

धारा 206
संकर्म किस प्रकार किया जाना है

❖ धारा **205** के अधीन कोई संकर्म इस प्रकार निष्पादित किया जायेगा जिससे नुकसान यथासम्भव कम से कम हो और उस भवन या भूमि का स्वामी या अधिभोगी, जिसके फायदे के लिए संकर्म किया जाता है—

(क) संकर्म को यथासाध्य अविलम्ब निष्पादित करवायेगा।

(ख) उक्त संकर्म को निष्पादित करने के प्रयोजन के लिए भूमि या किसी भवन या अन्य संनिर्माण के खोले गये, तोड़े गये या हटाये गये किसी भाग को खर्चे से और

(ग) ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसे उक्त संकर्म के निष्पादन से नुकसान पहुंचे, प्रतिकर देगा।

धारा 207
जिस भूमि पर से नाली ले जायी जाये उस पर पश्चात्वर्ती भवन निर्माण के संबंध में उसके स्वामी का अधिकार

धारा 208
शौचालयों आदि की व्यवस्था

(1) जहां नगरपालिका की यह राय हो कि किसी–किसी भवन में या भूमि पर शौचालय या मलकूप या अतिरिक्त शौचालयों या मलकूपों की व्यवस्था की जानी चाहिए या किसी नगरपालिका में जिसमें फ्लश शौचालय पद्धति आरम्भ की गयी है।

(2) नगरपालिका लिखित नोटिस द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों से जो बीस से अधिक कर्मकारों या श्रमिकों को नियोजित करते हो या जो किसी बाजार, विद्यालय या नाट्यशाला अथवा सार्वजनिक समागम के किसी अन्य स्थान के स्वामी अथवा प्रबन्धक हो।

धारा 209
कारखानों, विद्यालयों और सार्वजनिक स्थानों में तहारत और मूत्रालय का निर्माण

❖ नगरपालिका व्यावसायिक काम्पेक्सों, विद्यालयों, प्राइवेट अस्पतालों, होटलों रेस्टोरेंटों, विश्राम गृहों, बाजारों, सामुदायिक केन्द्रों, विवाह

9 अभियोजन, वाद आदि [Prosecution, Suit etc.]

[अध्याय–13 (धारा 298-308)]

धारा 298
नगरपालिका अभियोजित कर सकेगी

(1) मुख्य नगरपालिका अधिकारी किसी भी प्रकार के किसी लोक न्यूसेंस या इस अधिनियम के अधीन जारी आदेश या निर्देशों के उल्लंघन के लिए अभियोजन का निर्देश दे सकेगा और किन्हीं शास्तियों की वसूली के लिए तथा इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम या उप–विधि के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दण्ड देने के लिए कार्यवाही किये जाने का आदेश दे सकेगा और ऐसे अभियोजनों या अन्य कार्यवाहियों का व्यय नगरपालिका निधि में से संदत्त किये जाने का आदेश दे सकेगा। परन्तु इस अधिनियम या इसके अधीन विरचित नियम या उप–विधि के अधीन किसी अपराध के लिए कोई अभियोजन ऐसा अपराध कारित किये जाने के पश्चात् छह मास के भीतर के सिवाय संस्थित नहीं किया जायेगा।

(2) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों या उप–विधियों के अधीन कोई अभियोजन उसमें अन्यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी मजिस्ट्रेट के समक्ष संस्थित किया जा सकेगा और इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम या उप–विधि के अधीन या उसके आधार पर, अधिरोपित प्रत्येक जुर्माना या शास्ति और प्रतिकर या अन्य व्ययों के सभी दावे जिनकी वसूली के लिए इस अधिनियम में अन्यथा कोई विशेष उपबंध न किया गया हो, ऐसे मजिस्ट्रेट को आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर उसकी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर ऐसे व्यक्ति की, जिस पर धन का दावा किया जा सके, किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति के करस्थम तथा विक्रय द्वारा वसूल किये जा सकेंगे।

धारा 299
अपराधों के अभियोजन के संबंध में शक्तियां–नगरपालिका

(क) किसी भी ऐसे व्यक्ति से जिसने नगरपालिका की राय में इस अधिनियम या उसके अधीन बनायी गयी किसी उप–विधि के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया हो, समझौता कर सकेगी और ऐसा समझौता कर लिए जाने पर ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध ऐसे अपराध के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

धारा 300
नगरपालिका की सम्पत्ति के नुकसान की पूर्ति कैसे की जाये

❖ यदि किसी कार्य, उपेक्षा या व्यतिक्रम द्वारा जिसके कारण कोई व्यक्ति इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित किसी शास्ति का भागी हुआ हो और यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा नगरपालिका की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया गया हो, तो ऐसी शास्ति की अदायगी के साथ–साथ ऐसे नुकसान की पूर्ति का भी भागी होगा तथा विवाद की दशा में नुकसानी की रकम उस मजिस्ट्रेट द्वारा अवधारित की जायेगी जिसके द्वारा ऐसी शास्ति का भागी व्यक्ति सिद्धदोष ठहराया गया है और मांग किये जाने पर ऐसी नुकसानी का संदाय न होने की दशा में वह करस्थम द्वारा उद्ग्रहीत की जायेगी तथा ऐसा मजिस्ट्रेट तदनुसार वारन्ट जारी करेगा।

धारा 301
कतिपय अपराधों का संज्ञेय और जमानतीय होना–दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट

धारा 302
प्रक्रिया त्रुटियुक्त होते हुए भी करस्थम विधिपूर्ण होगा

धारा 303
वाद द्वारा अनुकल्पी प्रक्रिया

❖ इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन वसूली की किसी अनुज्ञात प्रक्रिया के बदले में या ऐसी प्रक्रिया द्वारा इस अधिनियम के अधीन वसूलीय सम्पूर्ण रकम या उसके किसी भाग की या इस अधिनियम के अधीन संदेय किसी प्रतिकर, व्यय, प्रभार या नुकसानी की सम्पूर्ण रकम या उसके किसी भाग की वसूली करने में विफल रहने की दशा में उसके संदाय के दायी व्यक्ति पर सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय में वाद लाना नगरपालिका के लिए विधिपूर्ण होगा।

धारा 304
नगरपालिका या उसके अधिकारियों के विरुद्ध वाद

❖ नगरपालिका के विरुद्ध या नगरपालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध या उनमें से किसी के भी

10 नियंत्रण [Control]

[अध्याय–14 (धारा 309-327)]

धारा 309
निदेशक उप निदेशक और सहायक निदेशक की नियुक्ति और शक्तियां

(1) राज्य सरकार किसी अधिकारी को निदेशक, स्थानीय निकाय के रूप में चाहे किसी भी पदनाम से हो, नियुक्त कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार इतने अन्य अधिकारियों को भी नियुक्त कर सकेगी जो वह निदेशक को सहायता के लिए ठीक समझे और वे निदेशक के निदेश तथा नियन्त्रण के अधीन रहेंगे।

धारा 310
निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण की शक्तियां

(1) राज्य सरकार द्वारा किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त नियुक्त या प्राधिकृत किसी अधिकारी को निम्नलिखित शक्तियां होगी—

(क) किसी नगरपालिका या उसके नियंत्रण या प्रबन्ध के अधीन किसी संस्था के अधिभोग में की किसी स्थावर सम्पत्ति या उसके अधीन या उसके निदेश या नियंत्रण के अधीन चल रहे किसी कार्य के स्थल में प्रवेश तथा निरीक्षण करने या प्रवेश तथा निरीक्षण करवाने।

(ख) किसी नगरपालिका की या किसी समिति की कार्यवाहियों से किसी उद्धरण या नगरपालिका के कब्जे के या नियंत्रणाधीन किसी दस्तावेज या पुस्तक तथा किसी विवरणी, विवरण, लेखे या रिपोर्ट जिसकी ऐसे नगरपालिका से प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना वह उचित समझे, के लिए अपेक्षा करने की।

(ग) किसी नगरपालिका से ऐसी आपत्ति पर, जो उसे किसी ऐसी बात के करने के संबंध मे जो ऐसी नगरपालिका द्वारा की जाने वाली हो या की जा रही हो, विद्यमान प्रतीत हो या किसी ऐसी जानकारी पर, जिसे वह प्रस्तुत करने में समर्थ हो और जो उसे नगरपालिका द्वारा कतिपय बातों के किये जाने के लिए आवश्यक प्रतीत हो, विचार करने की तथा ऐसी बात को करने से विरत न रहने या उसे न करने के संबंध में अपने कारण बतलाते हुए युक्तियुक्त समय के भीतर उसे लिखित उत्तर देने की अपेक्षा करने की।

धारा 311
नगरपालिका के कार्यालय का निरीक्षण करने की शक्ति

❖ राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त या प्राधिकृत किसी अधिकारी को किसी भी नगरपालिका के कार्यालय का निरीक्षण करने तथा ऐसी किसी नगरपालिका के अभिलेखों को तलब करने की शक्ति होगी।

धारा 312
नगरपालिका के आदेश आदि के निष्पादन को निलम्बित करने की शक्ति

❖ यदि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त या प्राधिकृत ऐसे किसी अधिकारी की राय में नगरपालिका के किसी आदेश या संकल्प का निष्पादन या किसी काम का किया जाना जो नगरपालिका द्वारा उसकी ओर से किया जाने वाला हो या किया जा रहा हो, जनता को हानि या क्षोभ पहुंचा रहा है या जिसके पहुंचने की सम्भावना है या उससे शांति भंग होती है या वह नगरपालिका के हित में अहितकर या विधिविरुद्ध है तो वह अपने हस्ताक्षरों से लिखित आदेश द्वारा निष्पादन को निलम्बित कर सकेगा या उस काम के किये जाने को प्रतिषिद्ध कर सकेगा।

धारा 313
आपात की दशा में असाधारण शक्तियां

❖ आपात की दशा में जिला मजिस्ट्रेट किसी संकर्म के निष्पादन या किसी कार्य के किये जाने के लिए व्यवस्था कर सकेगा जिसे निष्पादित करने या किये जाने के लिए नगरपालिका सशक्त हो और जिसका तुरन्त निष्पादन या किया जाना उसकी राय में जनता के स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए आवश्यक हो।

धारा 314
आपात समय में नगरपालिका द्वारा कर्मचारियों के लिए सरकार की अध्यपेक्षा का अनुपालन

❖ युद्ध, अकाल, दुर्भिक्ष, खतरनाक रोग, बाढ़ या किसी ऐसे ही आपात की दशा में और मेलों या अन्य अवसरों को, जिनमें काफी

11 राजस्थान नगरपालिका समान क्रय और अनुबंध नियम 1974 [Rajasthan Municipal Respect Purchase and Contract Rules 1974]

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 298 और 80 के साथ धारा 29 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके लिए प्रमुख नियम बनाती है।

नियम-1 संक्षिप्त नाम और इसका प्रारंभ

(i) इस नियम का नाम राजस्थान नगरपालिका समान क्रय और अनुबंध नियम 1974

(ii) यह नियम राजपत्र में प्रकाशन होंगे उसी तारीख से लागू होंगे।

नियम-2 परिभाषाएं

(i) बोर्ड के अंतर्गत नगर परिषद आती है।

(ii) क्रय करने वाले अधिकारी या मांग करता अधिकारी का अर्थ कार्यपालक है।

(iii) कार्यपालक के अधिकारों के अंतर्गत नगर परिषद का आयुक्त भी आता है।

नियम-3 निविदा द्धारा समान क्रय और कार्य का निष्पादन करना

किसी भी ऐसे आदेश के अधीन रहते हुए राज्य सरकार द्वारा इस संबंधित जारी किए जाएं और इन नियमों में उपबंध के अलावा कोई भी ऐसी सामग्री या समान के प्रदाय के लिए जिसमें रुपए 1000 का खर्चा शामिल हो या किसी ऐसे कार्य को पूरा करने के लिए जिसमें रू. 2000 से अधिक का खर्च है शामिल हो तब तक कोई संविदा तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि इसमें इसके आगे विदित है सामान्य रूप से निविदाएँ आमंत्रित हैं ना कर ली जाए नियम-14 में यथा उपबंध इतने सक्षम प्राधिकारी को पूर्व है स्वीकृति प्राप्त न कर ली जाए।

नियम-4 सामान की खरीदारी की निविदाओं के मामले में निविदाएं आमंत्रित करने के लिए निम्नलिखित समय सीमा का पालन किया जाएगा।

(i) रू. 100000 की सीमा तक के सामान खरीदने के लिए 7 दिन।

(ii) 1 लाख से 10 लाख के लिए 10 दिन।

(iii) 10 लाख से एक करोड़ तक के सामान खरीदने के लिए 15 दिन।

(iv) उपयुक्त उल्लेखित समय सीमा की गणना उसी तारीख से होगी जिसकी निविदा आमंत्रित करने का नोटिस समाचार पत्र में जारी किया हो उस तारीख तक निविदा तारों से निविदा प्रस्तुत करने हेतु कहा जाएगा।

(v) सामान खरीदने और लोग निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु निविदा आमंत्रित करने का नोटिस अवधि 24 घंटों से अधिक नहीं है जैसे कि प्रत्येक मामले में परिस्थिति मे उचित समझा जाएगा और उसकी कटौती भी कर दी जाएगी और इसके लिए एक समिति का गठन किया जाएगा।

(vi) जिला मुख्यालय पर नगर पालिका परिषद और नगर पालिका के कलक्टर और अन्य नगर पालिका बोर्ड के मामले में उपखंड अधिकारी या कलक्टर प्राधिकृत होंगे।

(vii) संबंधित बोर्ड नगरपालिका का पीठासीन अधिकारी।

(viii) संबंधी नगर पालिका बोर्ड का आयुक्त और अधिकारी।

(ix) कलक्टर व उपखंड अधिकारी के निर्णय और जहां पर उपखंड अधिकारी प्रशासक है वहां पर कलक्टर द्वारा नियुक्त अधिकारी का आदेश की अंतिम होगा।

(x) और यह सभी आदेश शहरों से 2 अक्टूबर 1981 से शुरू हुए है और इसके समाप्त होने तक प्रभावित रहेंगे।

नियम-5 यदि किसी निविदा के आमंत्रण पर पूरी संख्या प्राप्त नहीं है तो नए सिरे से निविदाएं आमंत्रित की जा सकेगी।

नियम-6 निविदा प्राप्त करने की प्रक्रिया निम्नलिखित रूप में होगी

(i) विज्ञापन द्वारा खुली निविदाएं।

(ii) सीमित आवेदनों के सीधे आमंत्रण द्वारा।

(iii) केवल एक आवेदन आमंत्रण द्वारा।

(iv) खुली निविदा प्रणाली और सार्वजनिक रूप से विज्ञान द्वारा निविदा आमंत्रण करने का उपयोग एक साधारण नियम के रूप में किया जा सकेगा जिसका मूल्य 5000 से अधिक हो उसको अंगीकृत किया जाएगा।

(v) सीमित निविदा प्रणालनी ऐसे समस्त आदेशों के मामलों में की जाएगी जिसका मूल्य 10000 से कम हो।

12 नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009
[Rajasthan Municipal Conduct of Work Rules 2009]

नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009

(1) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 51 और 52 के साथ धारा 33 द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार यह संपूर्ण नियम बनाती है।

(2) कुल नियमों की संख्या 22

नियम-1 इसका संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) इन नियमों का नाम राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 रखा गया है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशित तारीख से ही लागू होंगे।

नियम-2 परिभाषाएं

(i) अधिनियम राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 अधिनियम संख्या 18 से अभिप्रेत है।

(ii) बैठक से अधिनियम की धारा 51 के अनुसार नगर पालिका की बैठक से संबंधित है।

(iii) प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा नगरपालिका के लिए विचार आते रखा गया हो वह प्रस्ताव संकल्प से अभिप्रेरित माना गया।

(iv) नगर पालिका से नगर निगम, नगर परिषद या यथास्थिति नगर पालिका बोर्ड निर्देशित है।

(v) पीठासीन अधिकारी से अध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और दोनों की अनुपस्थिति में ऐसी बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया कोई सदस्य है।

नियम-3 नगर पालिका की बैठक से संबंधित है।

(i) नगर पालिका की सामान्य साधारण बैठक 60 दिन में एक बार होगी और कैलेंडर वर्ष में कम से कम 6 बैठक अनिवार्य होगी।

(ii) आवश्यकता की दशा में किसी भी लोक महत्व के मामले में अध्यक्ष किसी भी समय आवश्यक बैठक बुला सकता है।

(iii) अध्यक्ष नगर पालिका के एक तिहाई सदस्य द्वारा हस्ताक्षर करवाकर लिखित अनुरोध प्राप्त करने की तारीख से 7 दिन के अंदर भी विशेष बैठक आहूत कर सकता है।

(iv) यदि अध्यक्ष उप नियम 3 के अधीन उस समय के भीतर विशेष बैठक करने में असफल रहता है तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसा संकल्प पर विचार करने के लिए उसे तारीख को निर्दिष्ट समय समाप्त होता है से 10 दिन के अंदर बैठक आहूत करने के लिए प्राधिकृत रहेगा।

(v) नगर पालिका की बैठक साधारणतया नगर पालिका के कार्यालय में ही की जाएगी।

(vi) नगर पालिका की बैठक की अध्यक्षता पीठासीन अधिकारी द्वारा की जाएगी।

(vii) नगर पालिका की बैठक के साधारण तहत जनता के लिए खुली होगी लेकिन किसी विशेष बैठक के लिए पीठासीन अधिकारी किसी व्यक्ति विशेष को उपस्थित होने से रोक सकता है।

नियम-4 बैठक की सूचना

(i) कोई सामान्य साधारण बैठक तब तक नहीं होगी जब तक की बैठक के स्थान, तारीख, समय और बैठक में किए जाने वाले कार्य की सूचना बैठक की तारीख से पूरे 6 दिन पहले नहीं दी गई हो।

(ii) अति आवश्यकता की दशा में अध्यक्ष कम अवधि की सूचना देकर भी बैठक बुला सकता है किन्तु वह अवधि 48 घंटे से कम नहीं होनी चाहिए।

नियम-5 बैठक की कार्यसूची

(i) बैठक की कार्यसूची को मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा तैयार किया जाएगा।

(ii) नगर पालिका अधिकारी ऐसे किसी भी विषय को शामिल कर सकता है, जिसमें उसकी राय में नगर पालिका द्वारा विचार किया जाना चाहिए।

नियम-6 प्रश्न-कोई भी सदस्य नगरपालिका के प्रशासन से संबंधित किसी भी विषय पर प्रश्न पूछ सकेगा जिसका अध्यक्ष द्धारा लिखित उत्तर प्रश्न की प्राप्ति के कम से कम 15 दिन के अंदर दिया जाना अनिवार्य है। अगर उत्तर देने में विफल रहता है तो उक्त बैठक में मुख्य उत्तर दिया जाएगा।

नियम-7 बैठक की गणपर्ति कोरम

(i) कुल सदस्यों का एक तिहाई

नियम-8 गणपूर्ति के अभाव में बैठक का स्थगित होना।

(i) यदि बैठक में गणपूर्ति नहीं होती है तो वह बैठक स्थगित हो जाएगी।

14 शहरी क्षेत्र में संचालित योजनाएँ [Schemes Operated in Urban Area]

शहरी क्षेत्र में संचालित योजनाएं

अध्याय संख्या	अध्याय का नाम
1.	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
2.	स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)
3.	इंदिरा रसोई योजना
4.	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)
5.	इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना
6.	अमृत मिशन
7.	हृदय योजन
8.	इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना

योजना 1
दीनदयाल अन्त्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)

- स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (SJSRY) का नाम बदलकर 'दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन' किया गया।
- राजस्थान में यह योजना 196 नगरीय निकायों में लागू है।

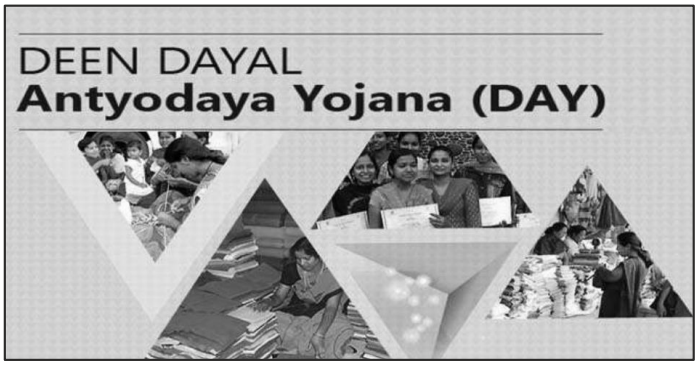

DAY-NULM के प्रमुख घटक

1. क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण
2. सामाजिक जुड़ाव एवं संस्थागत विकास
3. कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार एवं प्लेसमेंट
4. स्वरोजगार कार्यक्रम
5. शहरी पथ वेंडर के लिए समर्थन
6. शहरी बेघरों के आश्रय के लिए योजना
7. अभिनव एवं विशेष परियोजनाएं

शहरी जन सहभागी योजना

- शहरी विकास में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह योजना प्रारम्भ की गई।
- इस योजना के दो घटक है यथा जन चेतना एवं विकास कार्य
- इस योजना के अन्तर्गत किसी भी परियोजना की लागत में राज्य, जन सहयोग और शहरी स्थानीय निकायों के द्वारा क्रमश: 50 प्रतिशत, 30 प्रतिशत और 20 प्रतिशत का योगदान दिया जाता है।
- योजना के तहत् श्मशान और कब्रिस्तान की चार दिवारी निर्माण कार्य हेतु 10 प्रतिशत जन सहयोग प्राप्त होने पर 90 प्रतिशत राशि राज्य सरकार के द्वारा वहन की जाती है।

योजना 2
स्वच्छ भारत मिशन (मिशन)

- घर, समाज और देश में 'स्वच्छता एवं साफ सफाई' को बढावा देने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन (SBM) शुरू किया गया था। यह मिशन दो भागों में विभाजित है—ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 'पेयजल एवं स्वच्छता विभाग' के अन्तर्गत स्वच्छ भारत मिशन —ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 'आवासन एवं शहरी मंत्रालय' के अन्तर्गत 'स्वच्छ भारत मिशन शहरी' को क्रियान्वित किया जा रहा है।

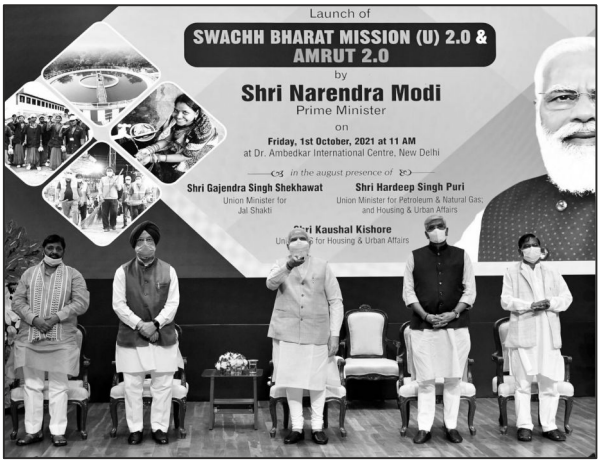

लेखक परिचय

मुकेश चौधरी

मुकेश चौधरी

Telegram@studywithmkchoudhary

(M.A. B.Ed. SI, VDO, RAS Exam clear)

लेखक अजमेर जिले की अराई तहसील के निवासी है। इन्होंने कला विषय में स्नातक और राजनीतिक विज्ञान से परस्नातक किया है। इनको राजस्थान की होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को पिछले 8 सालों का अनुभव है इनके पास राजस्थान की सब इंस्पेक्टर, VDO, REET, कांस्टेबल इत्यादि परीक्षाओं को पास करने का अनुभव है और इन्होंने राजस्थान में कई विभिन्न महत्वपूर्ण शिक्षण संसथानों में अध्ययन करवाया। इसके अतिरिक्त India's Largest Learning Platform Unacademy पर पिछले 3 सालों से अध्ययन करवा रहे हैं और वर्तमान में इनके यूट्यूब चैनल (Study with MK) से जुड़े 1 लाख विद्यार्थियों को नि:शुल्क प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं।

APP DOWNLOAD NOW

EO-RO Part-B सम्पूर्ण पाठ्यक्रम के विडियों कक्षा देखने के लिए QR Code Scan करें।

SUBSCRIBE YOUTUBE

दक्ष प्रकाशन

(A Unit of College Book Centre)

A-19 सेठी कॉलोनी, जयपुर (राज.)

फोन नं. 0141-2604302

Code No. D-670 | ₹ 180/-

इस पुस्तक को ONLINE खरीदने हेतु

WWW.DAKSHBOOKS.COM

पर ORDER करें

★ SPECIAL DISCOUNT + FREE DELIVERY ★